FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्रीमती तुलसी बाई गमेती	**बनाम**	श्रीमती शिखा मोटावत व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 69 सन 2017 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
29.11.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रत्यर्थी-1 उपस्थित। प्रत्यर्थी-2 की ओर से वकील श्री दिलीप सुथार द्वारा वकालतपत्र पेश। दोराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा दिनांक 02.02.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया था की ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्रीमती तुलसी बाई का स्वर्गवास फरवरी, 2020 में हो चुका है, और निर्धारित समय उपरान्त भी नाम कायमी की कार्यवाही नहीं कराई गई जबकि नाम कायमी की कार्यवाही 90 दिवस में की जानी थी। विधि द्वारा प्रदत्त सीमा में नाम कायमी नहीं कराने से यह अपील अबेट हो चुकी है। अतः अपील अबेट हो जाने निरस्त फरमाई जावें। साथ ही अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रकरण/अपील अदम पेरवी अदम हाजरी में भी खारिज योग्य है। हमनें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया। अपीलार्थी श्रीमती तुलसी बाई का स्वर्गवास फरवरी, 2020 का कथन किया गया है जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.08.2021 को उपस्थित होकर अपीलार्थी का स्वर्गवास होना जाहिर किया और कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में ही पत्रावली उनसे ले ली गई है। आदेश 22 नियम 3 के तहत वादी/अपीलार्थी के स्वर्गवास होने पर आवेदन प्रस्तुत कर उसके वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रकरण की सुनवाई हेतु के लिए पुकार होने पर न्यायालय समय समाप्त होने एवं न्यायालय उठने तक अपीलार्थी को ओर से कोई वारिसान एवं वारिसान के प्रतिनिधी उपसंजात नहीं हुए। अतः प्रकरण/अपील अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। साथ ही हस्तगत अपील में अधिवक्ता अपीलार्थी या अपीलार्थी के किसी वारिसान द्वारा विधि द्वारा परिसीमीत समय 90 दिवस के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील कायम मुकामी के अभाव में अबेट की जाती है। आदेश सुनाया गया।		